नवंबर 2019

आपदा संवाद

रासायनिक औद्योगिक
कृत्रिम अभ्यास

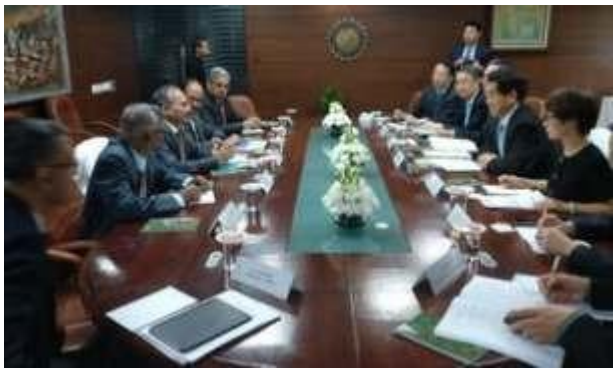

चीन प्रतिनिधिमंडल ने एनडीएमए का दौरा किया

चीन का एक उच्च–स्तरीय आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने, श्री झेंग गुओगुआंग, उपमंत्री, आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय (एमईएम) और चीन भूकंप प्रशासन के प्रशासक (सीईए), के नेतृत्व में 9 नवंबर, 2019 को एनडीएमए का दौरा किया। चर्चा में दोनों देशों के बीच आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों की खोज की।

एनडीएमए ने आपदाओं में वैश्विक रुझानों, डीआरआर के लिए भारत का संस्थागत तंत्र और प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में प्रभावी सामुदायिक भागीदारी के साथ एनडीएमए द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाएं, जैसे–राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) और राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी) और अन्य क्षमता निर्माण परियोजनाओं को भी कवर किया।

एनडीएमए ने आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) पर एक प्रस्तुति भी दी, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलीन में शुरू किया गया था।

श्री गुओगुआंग ने चीन द्वारा सामना किए गए प्राकृतिक आपदाओं और देश में आपदा प्रबंधन के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्था पर एक विस्तृत प्रोफाइल (वर्णन) प्रस्तुत की। उन्होंने चीन द्वारा आपदाओं की प्रभावी तैयार और प्रतिक्रिया को मजबूत बनाने के लिए क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।

नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने एनडीएमए का दौरा किया

15 नवंबर, 2019 को दुनिया भर के अनुभवों को साझा करने, पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली के क्षेत्र में उत्तम अभ्यास के लिए तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के और अधिक क्षेत्रों की खोज करने के उद्देश्य से एक 20–सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने एनडीएमए का दौरा किया।

बातचीत को मजबूत बनाने के लिए, एनडीएमए ने आपदाओं में वैश्विक रुझानों, भारत में डीआरआर के लिए संस्थागत मंत्र और प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को दर्शाते हुए एक प्रस्तुति दी।

प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल के गोरखा जिले में भूकंप के बाद

घरों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने में किए गए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। भारत सरकार यूएनडीपी भारतीय स्वामित्व संचालित पुनर्निर्माण सहकार्यता (ओडीआरसी) के तहत, स्थानीय समुदाय के सदस्य निर्माण कार्यों में शामिल हैं; जिससे पुनर्निर्माण प्रक्रिया में ग्रामीणों के अधिक स्वामित्व के साथ सुरक्षा की प्रथा बनी रहे।

एनडीएमए ने यह सुझाव दिया कि नेपाली सरकार पुनर्निर्माण प्रक्रिया और स्वामित्व संचालित निर्माण को अपनाकर सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए विचार कर सकते हैं। आजीविका पुनःस्थापना/सृजन का विचार करने की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जोर दिया गया था।

भूटानी प्रतिनिधिमंडल ने एनडीएमए का दौरा किया

18 नवंबर, 2019 को भूटानी प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया भर के अनुभवी, संस्थागत व्यवस्था और आपदा के विभिन्न चरणों के दौरान मीडिया की भूमिका को साझा करने के उद्देश्य से एनडीएमए का दौरा किया गया।

सूचना, शिक्षा और संचार में मुद्रण एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका पर चर्चा की गई। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और डिजिटल न्यूजलेटर "आपदा संवाद" जिसमें सफलता की कहानियां, विशेषज्ञों के साक्षात्कार और सर्वोत्तम अभ्यासों के माध्यम से प्रभावी जागरूकता सृजन के लिए एनडीएमए की पहलों को दर्शाया गया।

आपदा जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए समग्र उपायों को शुरू करने की

आवश्यकता और पारंपरिक सांस्कृतिक वस्तुकला को आधुनिक तकनीक के साथ सम्मिश्रण करने पर चर्चा की गई।

भारत और भूटान दोनों ही भूकंप और अन्य सामान्य खतरे जैसे हिमानी झील विस्फोट बाढ़, भूस्खलन आदि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और उनके बीच क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ देशों के सदस्य देशों के रूप में आपदा प्रबंधन पर सहयोग समझौता है।

वियतनामी प्रतिनिधिमंडल ने एनडीएमए का दौरा किया

22 नवंबर, 2019 को एक आठ–सदस्य वियतनामी प्रतिनिधिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संस्थागत व्यवस्था और सर्वोत्तम अभ्यासों तथा सहकारिता की ओर अधिक क्षेत्रों की खोज पर चर्चा के उद्देश्य से एनडीएमए का दौरा किया गया।

बे–मौसमी खतरों जैसे भूकंप और सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और परमाणु) आपदाओं के लिए तैयारी, आपदा के लिए तैयारी, मोचन और राहत तथा आजीविका पुनःस्थापित करने के लिए संस्थागत और वित्तीय व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।

एमआरडीएस पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम

एनडीएमए विकिरणकीय आपातकालीन प्रबंधन और मोबाइल विकिरण पहचान प्रणाली पर एक सर्वसमावेशी (पायलट) परियोजना चला रही है, जिसके अंतर्गत पुलिस कार्मिकों के विकिरणकीय आपातस्थितियों के

प्रबंधन के लिए नियुक्त तथा प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 4–16 नवंबर, 2019 को पुणे के पास राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 5वीं बटालियन में एक दो सप्ताह प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. डीएन शर्मा, सदस्य, एनडीएमए द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में 14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से छत्तीस पुलिस कार्मिकों और कुछ एनडीआरएफ कार्मिकों ने हिस्सा लिया।प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया था कि कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वे अपने सहयोगियों को प्रशिक्षित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।

सीबीआरएन आपातस्थितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनडीएमए ने 18–22 नवंबर, 2019 को कोलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में एक पांच–दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आपातकालीन संचालकों (एसपीईएच) को बंदरगाहों में सीबीआरएन आपातस्थितियों का मोचन करने की तैयारी को बढ़ावा देना।

सीबीआरएन आपातस्थितियां, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और परमाणु सामग्री के कारण उत्पन्न खतरों से संबंधित है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम इंडियन पोर्ट एसोसिएशन और नाभिकीय औषधि एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएनएमएएस) के सहयोग से आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम में व्याख्यान के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उपयोग सहित खोज और परिशोधन के लाइव प्रदर्शन सहित स्थल प्रशिक्षण शामिल हैं। एसपीईएच को सीबीआरएन आपातकालीन के लिए नियुक्ति के अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम ने उन्हें चिकित्सा प्राथमिक उपचार और प्राथमिक मनो–सामाजिक सहायता प्रदान करने में भी सक्षम बनाया।

कार्यक्षेत्र (डोमेन) विभागों जेसे परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

बंदरगाह के प्रचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों की ओर से प्रतिनिधित्व प्रतिभागियों को सीबीआरएन आपातस्थितियों कीविभिन्न पहलों पर प्रशिक्षण दिलाया गया।कार्यशील

स्तर के कर्मचारियों को इस विषय पर एक आधा–दिवसीय मॉडयूल पर संवेदनशील जानकारी दिलायी गई।

विशिष्ट मोचन टीमों के आने तक एसपीईएच को उपयुक्त प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाने के लिए देश भर के बंदरगाहों में आयोजित की जा रही इस तरह के कार्यक्रम की श्रृंखला में यह आठवां हैं।

त्रिपुरा में भूकंप पर कृत्रिम अभ्यास

एनडीएमए ने त्रिपुरा सरकार के सहयोग से 28 नवंबर, 2019 को भूकंप की तैयारी पर एक कृत्रिम अभ्यास आयोजित की। अभ्यास से प्रतिभागी एजेंसियों और हितधारकों को उनकी आपदा मोचन योजनाओं की प्रभावशाली मूल्यांकन में सहायता की।

कृत्रिम अभ्यास के क्रम में 27 नवंबर को सभी जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभ्यास के लिए आवश्यक विस्तृत तौर–तरीके और तैयारियों पर कार्य करने के लिए एक समन्वय और अभिविन्यास कॉन्फ्रेंस और टेबल–टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई थी।

यह अभ्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिपुरा भूकंपीय अतिसंवेदनशील क्षेत्रV के अंतर्गत आता है।

संग्रहालयों और सांस्कृतिक विरासत के मुद्दे पर बैठक

एनडीएमए ने 24 अक्तूबर, 2019 को राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों के साथ अक्तूबर माह में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में संग्रहालयों और सांस्कृतिक विरासत मामलों से संबंधित लिए गए निर्णयों की प्रगति का जायजा लेने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इससे पहले, इस संबंध में अगस्त, 2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय के लिए आपदा प्रबंधन योजना का एक मसौदा तैयार करेंगे, जो अन्य संग्रहालयों के लिए डीएमपी की तैयारी के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। एनएमएम इस संबंध में आयोजित पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण और प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी पर मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

एएसआई कम से कम चार संरक्षित स्मारकों के लिए डीएमपी तैयार करेगा।

आपदा राहत दिशानिर्देशों के लिए घरेलू सहायता पर बैठक

एनडीएमए ने 22 अक्तूबर, 2019 को आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए घरेलू सहयोग/सहायता के लिए दिशा देने पर नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

एनडीएमए ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) का प्रावधान आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं। तथापि, विद्यमान प्रावधानों के अलावा अन्य विकल्पों पर समिति द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता हैं। विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए।

ड्राफ्ट मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संबंधित किए जाने वाले मुद्दों की पहचान की गई थी, जैसे व्यक्तिगत/संगठनों से एसडीएमए/राहत आयुक्तों द्वारा प्राप्त ऑनलाइन स्वैच्छिक डोनेशन, गुमशुदा व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को राहत प्रदान करना, राहत कार्य के प्रबंधन के लिए स्पष्ट संचार कार्यनीति और स्वैच्छिक संगठनों और अन्य के बीच, आपदाओं से पीड़ितों को सूचना का प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिए प्रावधान है।

फोकस में

जलाशय प्रबंधन पर कार्यशाला

हर समय कोई न कोई बड़ी बाढ़ मुख्य खबर बन जाती है, एक जलाशय भी इसकोसुर्खियों में लाता है। इसका कारण यह है कि जलाशय बाढ़ के प्रभाव को कम करने के सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपायों में से एक है, और उनके अच्छी तरह से विचार किए गए परिचालन अनुप्रवाह क्षेत्र में बाढ़ की आकृति, अवधि और प्रभाव कम करने के लिए पूर्व–शर्त है।

भारत में 5000 से अधिक बड़े प्रचालन बांध हैं और कुछ सौ निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कई हजार छोटे बांध हैं। ये बांध देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सिंचाई, पनबिजली सृजन और उनके पास के क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के अन्य पानी की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इसके अलावा, जलाशयों से पानी के अनियमित बहाव के उदाहरण मिले हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ की घटनाओं के प्रभाव में वृद्धि हुई है।

(केरल 2018 और मध्य प्रदेश 2019)। जून, 2014 में मंडी, हिमाचल प्रदेश में लारजी जल विद्युत बांध से अचानक पानी बहना, जिसके परिणामस्वरूप कई पर्यटकों की मौत हुई।

जलाशय पूरी तरह बाढ़ सुरक्षा नहीं कर सकते और बहती नदी के किनारे तटबंध अक्सर अवशिष्ट बाढ़ को रोकने के लिए पूरक उपाय के रूप में आवश्यक होता है। तथापि वे बाढ़ प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक हैं और जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग भी सुनिश्चित करता है। इस प्रकार जलाशय प्रबंधन संपत्ति प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में एक मुख्य भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने जल संसाधन मंत्रालय के सहयोग से 18 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में बाढ़ के प्रबंधन : जलाशय प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला आयोजित की।

कार्यशाला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, एनडीएमए ने बेहतर बाढ़ नियंत्रण के लिए अब तक हुई प्रगति, मुख्य समस्याएं तथा चुनौतियां और जलाशयों के लिए हमारे प्रबंधन को बेहतर बनाने के आगे का रास्ता, पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर व्याख्यान देते हुए श्री जी.वी.वी. शर्मा, सदस्य सचिव, एनडीएमए ने वर्ष 2008 और वर्ष 2010 के एनडीएमए दिशानिर्देशों को संदर्भित किया, जिसमें विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों द्वारा कई कार्रवाई बिंदुओं को विस्तारित करता है। उन्होंने सभी हितधारक एजेंसियों और राजय सरकारों को उनके प्रयासों को देश में जलाशय प्रबंधन सुधार की दिशा में समन्वय करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा "सभी हितधारक एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के संदर्भ में बेहतर बाढ़ मोचन और तैयारी की आवश्यकता है।"

श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर राज्य प्राधिकरणों द्वारा बांधों का विवेकपूर्ण परिचालन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा "बदलती जलीवायु ने नई चुनौतियों को खड़ा कर दिया है इसलिए हमारी नीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।" उन्होंने बाढ़ संबंधित चेतावनी के उपयुक्त सूचनाओं का प्रचार और जलाशय परिचालनों में पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

हितधारकों ने जलाशयों के बेहतर प्रबंधन और वर्षा पूर्वानुमान, बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व–चेतावनी तथा सलाह और चेतावनियों की सूचनाओं का विस्तारपूर्वक प्रचार से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। जलाशय परिचालन के अंतराल प्रबंधन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर भी प्रकश डाला गया। राज्य सरकारों द्वारा बांधों के प्रबंधन पर केस स्टडिस प्रस्तुत की।

एक ऐसे परिचालन तंत्र पर कार्य करने का निर्णय लिया गया, जो सभी हितधारकों के बीच समयबद्ध सूचना विनिमय किया जा सके, जिससे बाढ़ के दौरान जलाशय परिचालन अद्यतन पूर्वानुमान तकनीकों के आधार पर बेहतर व्यवस्थित किया जा सके।

कार्यक्रम में एनडीएमए के सदस्यों और अधिकारियों, आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र (एनआरएससी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और नागरिक सोसायटी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

गुजरात को रासायनिक आपातस्थितियों के लिए तैयार करना

एनडीएमए ने पहली बार राज्यव्यापी रासायनिक औद्योगिक आपदा कृत्रिम अभ्यास आयोजित की

रासायनिक उद्योग भारत में उभरते हुए औद्योगिक क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। गुजरात में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो राज्य को रासायनिक औद्योगिक आपदाओं से अंतिसंवेदनशील बनाता है। ये मानवीय त्रुटियों, आकस्मिक जोखिम, आतंकवादी हमले और तोड़फोड़ के कारण हो सकते हैं। ऐसी आपदाएं, भूकंप, चक्रवात और कोई सुनामी आदि के बाद गोण आपदा के रूप में भी हो सकती हैं।

इस तरह की आपातस्थितियों से निपटने के लिए विशेष कौशल और प्रयासों और हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। किसी भी बड़े रासायनिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी के दौरान सामना किए गए स्थिति में ला सकती है।

उद्देश्य

राज्य/जिलों की डीएम योजनाओं की समीक्षा करना

मानक परिचालन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना

सभी हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को दर्शाना

गैर–सरकारी संगठनों, समुदाय आदि को शामिल करके जागरूकता सृजित करना

संसाधनों, जनशक्ति, संचार आदि में अंतर को पहचानना

रासायनिक आपदाएं, हालांकि कुछ दूर के बीच रहने वाले, जान और माल दोनों को तत्काल के साथ–साथ दीर्घकालिक नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए, अतिसंवेदनशील प्रतिष्ठानों वाले क्षेत्रों की तैयारी और सहनशीलता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। प्राप्त करने का एक माध्यम है घटना मोचन प्रणाली के सिद्धांतों पर कृत्रिम अभ्यास के आयोजन, जो प्रत्येक हितधारक को स्पष्ट रूप से भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप तेज, प्रभावी और सुव्यवस्थित प्रतिक्रिया होती है।

इस साल, अक्तूबर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से छह जिलों–वडोदरा, वलसाड, जामनगर, अहमदाबाद, सूरत और भरूच और 216 से अधिक बड़ी इकाइयों को कवर करते हुए पहली बार राज्य व्यापक रासायनिक औद्योगिक आपदा कृत्रिम अभ्यास आयोजित की। इन जिलों की अतिसंवेदनशीलता कई गुणा बढ़ जाती है क्योंकि औद्योगिक संयंत्रों में भारी मात्रा में खतरनाक रसायन जमा एवं ले जाया जाता है और यहां तक कि एक हल्का भूकंप भी बड़ी क्षति और विनाश पैदा कर सकता है। इसके साथ–साथ इन जिलों के तटीय स्थान चक्रवात और सुनामी के जोखिम को भी नकारा नहीं जा सकता।

इस अभ्यास से पूर्व, एनडीएमए ने देशभर में 87 रासायनिक औद्योगिक अभ्यास ओयाजित की। "एनडीएमए राज्य, बहु–राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर क्षमताओं को अपग्रेड करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पिछले कुछ वर्षों में, जो हमने उद्योग स्तर पर शुरू किए थे, औद्योगिक क्षेत्रों के क्रम में रखा और फिर जिला स्तर तक, हमने इन अभ्यासों को बढ़ाया। अब हमने हमारे पहली राज्य–स्तर व्यापक रासायनिक औद्योगिक आपदा कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया है" लेफ्टिनेंट जनरल एन.सी. मारवाह, सदस्य, एनडीएमए ने कहा।

अभ्यास के दौरान, 25 सितंबर को एक अभिविन्यास और समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके बाद 10 अक्तूबर को एक टेबल–टॉप अभ्यास किया गया। इन अभ्यासों ने राज्य और भाग लेने वाले जिलों को वास्तविक अभ्यास के लिए तैयार करने में सहायता की।

11 अक्तूबर को प्रातः 9 बजे कच्छ जिले में भुज के निकट रिएक्टर पैमाने पर 7.7 के परिमाण वाले एक भूकंप के अनुकरण के साथ शुरू हुआ, जिससे विभिन्न उद्योगों को नुकसान तथा पड़ोसी क्षेत्रों पर गौण प्रभाव पड़ा। तत्काल, गांधी नगर में राज्य आपातस्थति प्रचालन केंद्र (एसईओसी) पर साइरन बजाए गए, आईआरएस सक्रिय हुए और सभी हितधारकों को एसईओसी के माध्यम से स्थिति के बारे में बताया गया।

जैसा कि संचार नेटवर्क और बिजली लाइनें प्रभावित हुई थीं, विभिन्न स्थानों पर परिणामी क्षति की जानकारी के लिए सेटेलाइन फोन का इस्तेमाल किया गया था। कृत्रिम अभ्यास के दौरान जिलों के साथ–साथ उद्योगों के आपातकालीन मोचन योजनाओं की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, कई परिदृश्य–गैस पाइपलाइन लीकिज, जिसमें नेफ्था भंडारण में अमोनिया और क्लोरीन गैस का टूटना शामिल है; तथा कच्चे तेल और अन्य स्थितियां जिससे स्थल से दूर का परिदृश्य का कारण बना–का अनुकरण किया गया।

इस अभ्यास में वास्तविकता से निकट एक परिदृश्य बनाने की कोशिश की ताकि किसी आपदा की स्थिति में सभी हितधारक एजेंसियों की तैयारी और मोचन तंत्र की तैयारियों की जांच और सुधार किया जा सके। कमजोर लोगों को बाहर निकाला गया और घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। ड्रिल सभी हितधारक एजेंसियों जैसे

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस, सेना, वायु सेना, नौसेना, तटरक्षक बल, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन, आपदा मित्र (आपदा स्वयंसेवकों) और औद्योगिक स्थापनाओं से संसाधनों के सहयोग से किए गए थे। राज्य और जिला स्तर पर आपातकालीन प्रचालन केंद्र सक्रिय हुए और संकट समूहों ने मोचन योजना तैयार की और सभी जिलों में संसाधनों को जुटाया।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए अभ्यास के बाद के विश्लेषण में सभी भागीदारी जिलों और उद्योगों ने अभ्यास के दौरान सामना की गई चुनौतियों पर चर्चा की। अंतरालों को ठीक करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। "इस तरह के अभ्यासों से भागीदारी एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है, जो वास्तविक आपदा स्थिति के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे आपातकालीन स्थितियों में एसओपी को संशोधित, उन्नयन और सुव्यवस्थित बनाने में भी सहायता मिली है," एनडीएमए के मेजर जनरल वी.के. दत्ता (सेवानिवृत्त), जिन्होंने अभ्यास का नेतृत्व किया, ने कहा।

यह अभ्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के रासायनिक गलियारों में किसी भी आपदा से क्षेत्रीय के साथ–साथ राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हुए गंभीर आर्थिक हानि हो सकती है।

नोडल अधिकारियों के लिए संवेदिकरण कार्यशाला

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपनी आपदा प्रबंधन योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में निर्धारित फर्मा के अनुरूप तैयार करना अनिवार्य है। इनमें से प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ने एनडीएमए के साथ समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, उनके आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी दी तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) से संबंधित उनके संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सभी गतिविधियों की देखरेख करते हैं।

जैसाकि इन आपदा प्रबंधन योजनाओं में प्रशम, आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण और मोचन की तैयारी के लिए उपाय शामिल हैं, उनकी तैयारी और क्रियान्वयन अवसंरचना प्रणाली, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा न्यूयॉर्क में जलवायु कार्रवाई

शिखर सम्मेलन के दौरान आपदा समुत्थानशील अवसंरचना (सीडीआरआई) के लिए गठबंधन के शुभारंभ के साथ भारत नेतृत्व कर रहा है, के सहनशीलता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, विकास के सभी पहलुओं में आपदा सहनशीलता को एकीकृत करना भी सभी के लिए 'जीने में आसानी' और वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण की ओर एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

डीडीआरआर के लिएफ्रेमवर्क, सेंडई; फ्रेमवर्क संधारणीय विकास लक्ष्यों और पेरिस करार के बीच समंजस्य बिठाने और डीआरआर पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर नोडल अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए गृह मंत्रालय और एनडीएमए ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में एक दो–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला 10–11 अक्तूबर को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में की गई थी।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री जी.वी.वी. शर्मा, सदस्य सचिव, एनडीएमए ने कहा कि नोडल अधिकारी आपदा के दौरान और आपदा की घटनाओं के बाद नीतियां लागू करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने नोडल अधिकारियों से उनके डीएम योजनाओं को तैयार करने, आवधिक रूप से अपडेट करने और प्रभावशाली क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। कार्यशाला में प्रस्तुतियों का उद्देश्य नोडल अधिकारियों को अपनी डीएम योजनाओं को विकसित और क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया को समझने में सक्षम बनाना।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, पारिस्थितिकी आधारित सहनशीलता, आवासीय और संरचनात्मक सुरक्षा, शासन और वित्तीय तंत्र सरकार की योजनाओं और स्कीमों,आपदा प्रबंधन के सहभागी दृष्टिकोण और एकीकरण के मुद्दों पर चर्चा की।

कार्यशाला में लगभग 120 लोगों ने भाग लिया जिसमें गृह मंत्रालय, एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों और तकनीकी संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

शीत लहर तक गरम रखना

सरल सावधानियों का पालन करें

- सर्दी के मौसम वाले पर्याप्त कपड़े पहनें
- जितना संभव हो, घर के अंदर रहें
- आम दस्तानों (ग्लव्ज) के स्थान पर मिटन (विशेष प्रकार के दस्ताने, जिसमें अंगूठा अलग और अन्य अंगुलियां अलग से बना होता है)
- मौसम के ताजा हाल के लिए रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबारों को पढ़ें
- नियमित रूप से गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें
- बुजुर्ग तथा बच्चों का ध्यान रखें
- पर्याप्त पानी का भंडार रखें क्योंकि पाइपों में पानी जम सकता है
- आपातकालीन आपूर्तियों के समान को तैयार रखें

BE SMART
BE PREPARED!

पता :
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
ए–1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली–110029
दूरभाष संख्या : +91–11–26701700
नियंत्रण कक्ष : +91–11–26701728
हेल्पलाइन संख्या : 011–1078
फैक्स : : +91–11–26701729

controlroom@ndma.gov.in aapdasamvaad@gmail.com /NDMA.in @ndmaindia